उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 830–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013 –8 मा0से 05/2005 (TC9) दिनांक : 20 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम मुख्यालय स्तर से सम्पादित किये जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में शासन से अपेक्षित समन्वय प्रभावी ढंग से स्थापित करने तथा किसी परिहार्य विलम्ब को समाप्त करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं :–

(क) **एनर्जी टास्क फोर्स से सम्बन्धित कार्य**

(I) मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम, एनर्जी टास्क फोर्स से सम्बन्धित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

(II) एनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को सम्बन्धित इकाई, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्पादन निगम से अनुमोदित कराकर इसकी एक अग्रिम प्रति प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को तत्काल प्रेषित करेगा।

(III) उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रस्ताव की 15 प्रतियॉ सम्बन्धित इकाई द्वारा मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम को उपलब्ध कराई जायेंगी।

(IV) मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम सभी प्रस्तावों को संकलित कर समेकित रूप से ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) **मा0 मन्त्रि परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में तथ्यात्मक टिप्पणी का उपलब्ध कराया जाना**

(I) मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम उपरोक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

(II) शासन को प्रेषित किये जाने वाली टिप्पणी के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित इकाई के अधिकारी तथा/अथवा वित्त इकाई के अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सचिवालय जायेंगे।

(ग) **परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्टों तथा प्रगति आख्या का प्रेषण**

विभिन्न परियोजनाओं के पर्यावरण एवं सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट्स (CREP Reports), नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग/स्टेटस, प्रगति एवं फ्लैस रिपोर्ट्स तथा समीक्षा आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता (जानपद), पीपीएमएम नोडल अधिकारी होंगे। वह आवश्यक सामग्री सम्बन्धित इकाइयों से प्राप्त कर उपरोक्त रिपोर्ट शासन को अपने स्तर से प्रेषित करेंगे।

(घ) **शासन को प्रेषित विभिन्न सन्दर्भों का अनुसरण**

निगम मुख्यालय की सम्बन्धित इकाइयों द्वारा जो प्रकरण शासन को अनुमोदन/निर्देश/मार्गदर्शन/अभिमत आदि हेतु सन्दर्भित किये जायें, उनकी एक–एक प्रति मुख्य अभियन्ता (जानपद), पीपीएमएम को उपलब्ध करा दी जायें। मुख्य अभियन्ता (जानपद) उक्त सन्दर्भों का शासन स्तर पर अग्रेतर अनुसरण/अनुवर्तन अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

आलोक
आलोक कुमार,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : (I)मा0सं0(01)/वि0उ0नि0लि0/2013 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (वित्त/कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के मिजी सचिव।

3– सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखमऊ।
5– मुख्य अभियन्ता (जानमद), पीपीएमएम, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II); अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
7– मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईंधन/आर एण्ड एम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9– मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति परियोजना, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह इन आदेशों को निगम वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/टाण्डा बाइंडिग सेल/प्रशिक्षण/ उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13– सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

19/2/2013

(सुनील कुमार विद्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता (का0सं0)